रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122023-250974 CG-DL-E-29122023-250974

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5254] No. 5254]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

## भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

(संशोधन)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5487(अ).—भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2021 के का.आ. 3946(अ) के माध्यम से अधिसूचित ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) दिशानिर्देशों के आंशिक आशोधन में, निम्नलिखित संशोधन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी किए जा रहे हैं:-

पैराग्राफ '3' का संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

किया।

स्कीम की अवधि: इस स्कीम के अंतर्गत अनुप्रयोज्य आर्थिक प्रोत्साहन अनुप्रयोज्य होगा,जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष **2023-24** से होगी जिसे अगले वित्त वर्ष अर्थात **2024-25** से कुल पांच (05) लगातार वित्त वर्षों के लिए संवितरित किया जाएगा। उप-पैराग्राफ '10.3.1.V' का संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

यदि अनुमोदित कंपनी, किसी दिए गए वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष की अवसीमा अर्थात ₹125 करोड़ रुपये की तुलना में विनिश्चित बिक्री मूल्य में वृद्धि की अवसीमा को प्राप्त करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। किन्तु, वह अगले वर्ष में स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए तब भी पात्र होगी, बशर्ते वह उस वर्ष विशेष के लिए और तदुपरांत लगातार 4 वर्षों तक --जब स्कीम के अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन अनुप्रयोज्य (वित्त वर्ष 2023-24) होगा--अवसीमा को प्राप्त कर ले जिसकी गणना प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित अवसीमा की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 10% वृद्धि के आधार पर की जाएगी। इस प्रावधान से सभी अनुमोदित कंपनियों अर्थात मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध होगा और साथ ही उन अनुमोदित आवेदकों को सुरक्षा कवच उपलब्ध होगा जिन्होंने स्कीम के बाद के वर्षों में बाजार मांग की प्रतिकृल परिस्थितियों के बावजूद अपने निवेश को फ्रंट लोड करना पसंद

8003 GI/2023 (1)

उप-पैराग्राफ '10.3.2.V' का संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

यदि अनुमोदित कंपनी, किसी दिए गए वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष की अवसीमा अर्थात ₹25 करोड़ रुपये की तुलना में विनिश्चित विक्री मूल्य में वृद्धि की अवसीमा को प्राप्त करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। किन्तु, वह अगले वर्ष में स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए तब भी पात्र होगी, बशर्ते वह उस वर्ष विशेष के लिए और तदुपरांत लगातार 4 वर्षों तक --जब स्कीम के अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन अनुप्रयोज्य (वित्त वर्ष 2023-24) होगा--अवसीमा को प्राप्त कर ले जिसकी गणना प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित अवसीमा की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 10% वृद्धि के आधार पर की जाएगी। इस प्रावधान से सभी अनुमोदित कंपनियों अर्थात मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध होगा और साथ ही उन अनुमोदित आवेदकों को सुरक्षा कवच उपलब्ध होगा जिन्होंने स्कीम के बाद के वर्षों में बाजार मांग की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने निवेश को फ्रंट लोड करना पसंद किया।

[फा. सं. 12(11)/2020-AEI (21370)] हनीफ़ क्रैशी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES NOTIFICATION (AMENDMENT)

New Delhi, the 29th December, 2023

**S.O.** 5487(E).—In partial modification of the Scheme Guidelines for the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component industry which was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O. No. 3947 (E) dated 23rd September 2021, the following amendments are made with effect from date of its publication in the Official Gazette:-

Amendment of paragraph '3' to be read as under:

Tenure of the Scheme: Incentive under the scheme will be applicable, starting from the Financial Year 2023-24 which will be disbursed in the following Financial Year i.e. 2024-25 and so on for a total of five (05) consecutive Financial Years.

Amendment of sub-paragraph '10.3.1.V' to be read as under:

In case the approved company fails to meet the threshold for increase in Determined Sales Value over the threshold for the first year i.e. ₹125 crore, for any given year, it will not receive any incentive for that year. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the next year if it meets the threshold for that particular year calculated on the basis of 10% YoY growth over the threshold for the first year and thereafter for 4 consecutive years from when the incentive under the scheme becomes applicable (FY 2023-24). This provision will provide level playing field to all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies as well as safeguard the approved applicants who preferred to front load their investment, against adversities of the market demand conditions in subsequent years of the scheme.

Amendment of sub-paragraph '10.3.2.V' to be read as under:

In case the approved company fails to meet the threshold for increase in Determined Sales Value over the threshold for the first year i.e. ₹ 25 crore, for any given year, it will not receive any incentive for that year. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the next year if it meets the threshold for that particular year calculated on the basis of 10% YoY growth over the threshold for the first year and thereafter for 4 consecutive years from when the incentive under the scheme becomes applicable (FY 2023-24). This provision will provide level playing field to all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies as well as safeguard the approved applicants who preferred to front load their investment, against adversities of the market demand conditions in subsequent years of the scheme.

[F. No. 12(11)/2020-AEI (21370)] HANIF QURESHI, Jt. Secy.